


न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

सरोज कुमारी जाट बनाम उपखण्ड अधिकारी आमेर व अन्य

केस संख्या 75/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
02.08.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त कटारा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 23/2020 व उनवानी सरोज कुमारी बनाम कालूराम व अन्य अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त कटारा से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त कटारा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> (अन्तर सिंह नेहरा) जिला कलक्टर जयपुर</p>	